# प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 07.03.2017 को संपन्न विभागीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :—

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 07.03.2017 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कड़ा निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित कार्यालय अवधि पूर्वा० 09:30 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं अधीनस्थ कर्मियों को भी निर्धारित समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे तथा प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन पूर्वा० 09:40 बजे तक प्रशाखा की उपस्थिति पंजी की जाँच करेंगे एवं जो कर्मी विलंब से कार्यालय आते हैं, उनके संबंध में प्रभारी पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे।

3. अभियंत्रण संगठन के गठन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर आयोजित अंतिम बैठक में प्राप्त निर्देश के आलोक में संलेख प्रारूप में Divisional structure, पद सृजन आादि संशोधित करके एक सप्ताह के अंदर संचिका में उपस्थापित करने का निर्देश पिछली बैठक में दिया गया था, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है। निर्देश दिया गया कि इसकी संचिका दिनांक 08.03.2017 तक अनिवार्य रूप से उपस्थापित की जाय। **(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी—1)**

4. बुडा के पुनर्गठन संबंधी संचिका आवश्यक कार्रवाई करके दिनांक 08.03.2017 को अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।

**(अनुपालन :— विनोदानंद झा, उप निदेशक)**

5. नगरपालिका निदेशालय प्रशासन के पद सृजन की संचिका वित्त विभाग में भेजी गयी थी, जिसमें वित्त विभाग द्वारा कुछ आपत्तियाँ की गयी है। निर्देश दिया गया कि आपत्तियों का निराकरण करके आज ही संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय ताकि वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा जा सके। यह भी निर्देश दिया गया कि नगरपालिका निदेशालय प्रशासन के Cadre structure की संचिका भी दिनांक 08.03.2017 तक अनिवार्य रूप से उपस्थापित की जाय।

**(अनुपालन :— निदेशक, नगरपालिका प्रशासन—सह—संयुक्त सचिव)**

6. पिछली बैठकों में निर्देश दिया जाता रहा है कि सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपने प्रभार के प्रशाखा के कार्यों का प्रशाखा के सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी/कनीय प्रभारी पदाधिकारी के साथ अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से साप्ताहिक समीक्षा बैठक करेंगे तथा बैठक की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु नियमित रूप से उपलब्ध कराएंगे, जिसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। निर्देश दिया गया कि सभी वरीय पदाधिकारी इसका अनुपालन नियमित रूप से सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। **(अनुपालन :— सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी)**

7. निर्देश दिया गया कि विभाग में वर्तमान में जिन कमरों का Renovation नहीं किया जाना है, उन कमरों में पदाधिकारियों/कर्मियों को पूर्व के आँकलन के अनुसार कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिया जाय एवं उन सभी कम्प्यूटरों में LAN की भी व्यवस्था कर दी जाय। तत्काल Renovation किये जाने वाले कमरों/श्रम संसाधन विभाग से विभाग को हस्तांतरित कमरों/हॉल में LAN की व्यवस्था कर दी जाय। यह कार्य एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाय। **(अनुपालन :— आई०टी० मैनेजर)**

8. निर्देश दिया गया कि विभाग में नियुक्त किये जाने वाले HFA, AMRUT, SBM के प्रोफेशनल्स तथा बिहार विकास मिशन से प्राप्त प्रोफेशनल्स के वरीय कंसल्टेंट को विभाग में ही बैठने हेतु जगह अभी से ही

चिन्हित कर ली जाय। यह कार्य नोडल पदाधिकारी श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। **(अनुपालन :– श्री सोमेश कुमार सिंह, का०अभि०)**

**9.** बैठक में जानकारी प्राप्त हुई कि इंदिरा भवन के 7वें फ्लोर पर अवस्थित बुडा के कार्यालय हेतु उपलब्ध कमरों/हॉल में अभी काफी जगह खाली हैं। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि इंदिरा भवन में प्रथम तल पर अवस्थित CGRC Cell के जगह के एकरारनाम की अवधि समाप्त हो गयी है। निर्देश दिया गया कि CGRC Cell को इंदिरा भवन में ही 7वें फ्लोर पर बुडा के खाली कमरों/हॉल में Shift कर दिया जाय। **(अनुपालन :– श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव)**

**10.** पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी के कार्यालय की स्थापना, रेवेन्यू कलेक्शन, बजट शीर्ष का सृजन, पद सृजन आदि से संबंधित अग्रेत्तर कार्रवाई करके संचिका में 2 दिनों के अंदर उपस्थापित की जाय। श्री हरिशंकर, सहायक नगर निवेशक को यह भी निर्देश दिया गया कि पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी के पद सृजन का प्रस्ताव तैयार करके प्रशाखा पदाधिकारी–1 को दिनांक 08.03.2017 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय। तदोपरांत प्रशाखा–1 द्वारा इसे संचिका में उपस्थापित किया जाएगा।

यह भी निर्देश दिया गया कि पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी की कमिटी की बैठक आयोजित कराने हेतु संचिका 2 दिनों के अंदर उपस्थापित की जाय एवं बैठक में चर्चा हेतु एजेंडा भी तैयार किया जाय। **(अनुपालन :– सहायक नगर निवेशक)**

**11.** सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निर्धारित दर पर पटना मास्टर प्लान अंतर्गत महत्वपूर्ण नेटवर्किंग पथों का ड्रोन विडियोग्राफी करायी जाय। इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके 2 दिनों के अंदर संचिका में प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– सहायक नगर निवेशक)**

**12.** राजगीर एवं बोधगया का आयोजना प्राधिकार के गठन संबंधी प्रस्ताव अधिसूचना प्रारूप संचिका मे दिनांक 08.03.2017 तक अनिवार्य रूप से उपस्थापित की जाय। **(अनुपालन :– सहायक नगर निवेशक)**

**13.** बैठक में श्री सतीश अग्रवाल, SPUR द्वारा बताया गया कि SPUR द्वारा तैयार किये गये डी०पी०आर० विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिये गये हैं। आई०टी० मैनेजर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में निर्गत होने BUDA के RTGS संबंधी कार्यालय आदेश की प्रति उन्हें प्राप्त हो रही है एवं उसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दी गयी है।

प्रशाखा पदाधिकारी–4 को कड़ा निर्देश दिया गयाा कि वर्ष 2012–13 से अभी तक RTGS संबंधी सभी कार्यालय आदेश की प्रति एक सप्ताह के अंदर हर हालत में वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई०टी० मैनेजर को उपलब्ध करा दी जाय। यदि यह कार्य समयसीमा के अंदर पूर्ण नहीं किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक, इसका समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।**(अनुपालनः–श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक/ प्र०पदा०–4/आई०टी० मैनेजर)**

**14.** HFA एवं SBM का नगर निकायों में माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को शिविर आयोजित करने का दिशानिर्देश पूर्व से निर्गत है। विभाग द्वारा यह भी आदेश निर्गत है कि सभी जिले के नोडल पदाधिकारी शिविर के दिन अपने जिले के नगर निकायों में उपस्थित रहेंगे एवं प्रगति से उसी दिन अपराह्न में प्रधान सचिव को प्रतिवेदन से अवगत कराएंगे।

**निर्देश दिया गया कि जिले के सभी नोडल पदाधिकारी अपने जिले के नगर निकायों में इस कार्य का अनुश्रवण करेंगे एवं शिविर के दिन नगर निकाय में उपस्थित रहेंगे तथा नगर निकाय में जाने की तिथि की सूचना प्रधान सचिव कोषांग को आज ही उपलब्ध कराएंगे। श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव इस कार्य समुचित समन्वय सुनिश्चित करेंगे।**

(अनुपालन :– जिले के सभी नोडल पदाधिकारी)

15. उद्योग विभाग से प्राप्त Ease of Doing Buisiness संबंधी पत्र, Labour Cess संबंधी अन्य राज्यों में संचालित प्रक्रिया के संबंध में प्रतिवेदन, पटना मास्टर प्लान, 2031 अंतर्गत प्रस्तावित सड़क की वर्तमान स्थिति, भूमि की उपलब्धता, अवस्थित आधारभूत संरचनाओं तथा RERA संबंधी संचिका के उपस्थापन करके कार्य निष्पादन हेतु पिछली बैठकों में निर्देश दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस संबंध में पूर्व में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक नगर निवेशक से स्पष्टीकरण भी माँगा गया था।

सहायक नगर निवेशकों को कड़ा निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करके अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

**(अनुपालन :– सहायक नगर निवेशक)**

16. स्ट्रीट लाईट के संबंध में गाईडलाईन बनाने हेतु मुख्य अभियंता के स्तर पर लगभग 3 माह पूर्व ही एक कमेटी गठित की गयी थी। इस कमिटी द्वारा अभी तक गाईडलाईन तैयार नहीं किया गया है। इस हेतु पूर्व में भी बैठकों में निर्देश दिया जाता रहा है।

निर्देश दिया गया कि इस कमेटी द्वारा एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में detailed Guideline तैयार करके अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय। मुख्य अभियंता को निर्देश दिया गया कि वे इस हेतु व्यक्तिगत ध्यान देकर ससमय गाईडलाईन तैयार करेंगे।

**(अनुपालन :– मुख्य अभियंता, बुडा)**

17. सी०ए०जी० रिपोर्ट, लोक लेखा समिति का ऑडिट रिपोर्ट, Compliance report, नगर निकायों का बजट आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय। प्रशाखा पदाधिकारी–7 द्वारा Compliance report श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर को नियमित रूप से उपलब्ध कराएंगे एवं वे इस हेतु सभी संबंधितों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

प्रशाख पदाधिकारी–7 को यह भी निर्देश दिया गया कि CAG का Compliance report यदि ससमय नगर निकायों/एजेंसियों से प्राप्त नहीं होता है तो उसे उस जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी को समन्वय करके प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया जाय।

**(अनुपालन :–प्रशाखा पदा०–7 एवं आई०टी० मैनेजर)**

18. **निर्देश दिया गया कि विभाग के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी, अपने जिले के नगर निकायों से समन्वय करके शौचालय संबंधी ODF का प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक 15 दिनों पर नोडल पदाधिकारी, श्रीमती इन्दु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। विशेष कार्य पदाधिकारी नियमित रूप से संचिका के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन से अवगत कराएंगे एवं जिलों के सभी नोडल पदाधिकारियों के साथ इस हेतु समन्वय सुनिश्चित करेंगी।** **(अनुपालन :– श्रीमती इन्दु कुमारी, OSD/ जिले के सभी नोडल पदाधिकारी)**

19. प्रत्येक माह किये जाने वाले विभागीय पदाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन आदि को नियमित रूप से जिलावार Format में तैयार करके विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय ताकि जिले के नोडल पदाधिकारी नगर निकाय में निरीक्षण/भ्रमण के क्रम में वेबसाईट पर उस नगर निकाय की प्रगति आदि देखकर समीक्षा कर सकें। **(अनुपालन :–श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)**

20. बिहार विकास मिशन द्वारा विभाग से माँगे जाने वाले प्रतिवेदन के Format के अनुसार विभाग में हर घर नल–जल एवं नाली–गली योजना संबंधी तैयार किये गये Format में यदि संशोधन या कोई बिन्दु Add करने की आवश्यकता हो तो संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी द्वारा विभागीय Format को संशोधित कर लिया जाय।

**(अनुपालन :–श्री सुरेश कु० तिवारी, अधी०अभि०/श्री सोमेश कु० सिंह, का०अ०)**

21. मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली निश्चय योजना, हर घर नल जल निश्चय योजना एवं शौचालय निर्माण योजना के अनुश्रवण हेतु जिले के सभी नोडल पदाधिकारी अपने संबद्ध जिले के नगर निकायों का माह

में एक बार अनिवार्य रूप से स्थल भ्रमण करेंगे। **सभी नोडल पदाधिकारी प्रत्येक माह में स्थल भ्रमण हेतु तिथि निर्धारित करके प्रधान सचिव कोषांग को उस माह के 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से सूचित कर देंगे तथा स्थल भ्रमण का प्रतिवेदन संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।**

**(अनुपालन :– सभी जिले के नोडल पदाधिकारी)**

22. प्रशाखावार/कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

7/3/2017

**(चैतन्य प्रसाद)**

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1586 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 8/3/17

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय पदाधिकारी/जिले के सभी नोडल पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना/Team Leader, SPUR/Team Leader, PMC (NULM)/ SPMG कोषांग/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/2017

**प्रधान सचिव**

**अनुलग्नक–1**

➢ **प्रशाखा–01 :–**

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

➢ **प्रशाखा–02 :–**

1.**सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :–**

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे–छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद् का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।

- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर–टू–डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पटना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

2. **स्ट्रीट लाईट :–**

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

3. **पार्क एवं हरियाली विस्तार** :-

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

4. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020** :-

(i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।
(ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
(iii) सभी शहरी घरों में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।
(iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन–सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➢ **प्रशाखा–03** :-

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

2. **जल निसरण** :-

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

3. **शहरी परिवहन** :-

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने–जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार–विमर्श किया जाय।

4. **सबके लिए शौचालय** :-

- हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्त्तमान सूची में छूटे हुए है उनको सम्मलित करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार–विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसी आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

5. **रिवरेज की व्यवस्था** :–

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

6. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** :–

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

7. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020** :–

(i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
(ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
(iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

➢ **AMRUT Mission से संबंधित कार्य** :–

(i) AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डी०पी०आर० बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

➢ **प्रशाखा–04** :–

1. **सबके लिए आवास (शहरी)** :–

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके निर्णय लेना।
- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रेत्तर कार्रवाई।

2. आवास योजना का MIS लागू करना।
3. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

4. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020** :–

(i) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

- **NULM से संबंधित कार्य** :–

शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

➢ **प्रशाखा–05** :–

1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।
2. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग–अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।
4. प्रशाखा–5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।
5. नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :–
   - नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
   - बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।
6. नगरीय प्रशासन :–
   - "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
   - नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
   - पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
   - विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनगर्ठन पर विचार किया जाए।
   - Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्रवाई की जाय।
   - अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।
7. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :–
   (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

➢ **प्रशाखा–6 :–**

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

➢ **प्रशाखा–07 :–**

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
3. Doubel Entry Accounting System को Roll Out कराना।

➢ **प्रशाखा–8 :–**

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।

➢ **प्रशाखा–9 :–**

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

## ➤ प्रशाखा–10 :–

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड की संसाधनों में वृद्धि करना।
2. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।

- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक फ्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाए। लीज होल्ड से फ्री–होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

## ➤ प्रशाखा–11 :–

1. **शहरों का सुनियोजित विकास** :–
   - मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
   - सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
   - नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को काई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
   - "पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी" को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
   - पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपस्थापित किया जाय।
   - 15 प्रमुख शहरों का "आयोजना क्षेत्र" घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
   - शहरों के आस–पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
   - "नया पाटलिपुत्र" बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
   - TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते है।
   - पटना राजधानी क्षेत्र में सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "Patna Capital Region Management Committee" गठित की जाय।
   - पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा जाय।
2. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020** :–
   (i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला–मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।
3. TCPO कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।

## ➤ SPMG कोषांग से संबंधित कार्य :–

(i) NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
(ii) NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।